राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6457/2023

दीपक मिस्त्री पुत्र चंपत लाल मिस्त्री, आयु लगभग 34 वर्ष, बिक्री कर कार्यालय के पास, नया बाजार, भटकारा, सिरोही, राजस्थान 307001 के निवासी।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1 राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से, कार्यालय राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, टोंक रोड, श्रीजी नगर, पृथ्वीराज कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान 302018.

3.जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सिरोही, राजस्थान।

4. प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भूतगांव, सिरोही।

5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

---उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री करण परिहार की सहायता से डॉ. सचिन आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तरदाता(गण) के लिए: श्री हेमंत चौधरी

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

17/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत उत्तरदाताओं की कार्रवाई और निर्देश से उत्पन्न हुई है, जिसमें उसे चयन प्रक्रिया में सफल होने के बावजूद, चल रहे आपराधिक मुकदमे के

कारण शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षक के पद पर शामिल नहीं होने दिया गया, जिसमें वह विचाराधीन है। कथित अपराध भा.दं.सं. सी. की धारा 279 और 304 ए के तहत हैं, जो सड़क दुर्घटना से उत्पन्न होते हैं।

2. पहले प्रासंगिक तथ्य।

2.1. 26.01.2018 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, याचिकाकर्ता अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था जब वह कथित रूप से एक नशे में धुत सवार द्वारा चलाए जा रहे एक अन्य दोपहिया/टीवीएस मोपेड से टकरा गया। याचिकाकर्ता गिर गया, उसे शारीरिक चोटें आईं और अगले दिन यानी 27.01.2018 पर उसने अपने दम पर उक्त सड़क दुर्घटना के लिए मोपेड सवार के खिलाफ धारा 279 के साथ 337 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। हालाँकि, यह पता चला कि मोपेड सवार ने बाद में दम तोड़ दिया और जांच अधिकारी ने दिनांक 28.02.2018 को आरोप पत्र दाखिल करते समय याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 के साथ पठित 304 ए के तहत अपराध जोड़ा।

2.2.जब संबंधित एफआईआर की सुनवाई चल रही थी, तब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षकों और वरिष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए दिनांक 01.02.2022 (अनुलग्नक 1) एक विज्ञापन प्रकाशित किया। याचिकाकर्ता ने कुल मिलाकर 91.3931 अंकों के साथ परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और पुलिस सत्यापन के लिए जानकारी सहित आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 06.04.2023 से एफआईआर संख्या 9/2018 से उत्पन्न उपरोक्त लंबित मुकदमे का पता चला।

2.3. इसके बाद, याचिकाकर्ता को सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भूतगांव, सिरोही में नियुक्ति के लिए 12.04.2023 पर नियुक्ति आदेश प्राप्त हुआ। हालाँकि, जब वह ड्यूटी में शामिल होने के लिए आया, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे लंबित मामले के कारण अनुमति नहीं दी, जैसा कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 06.04.2023 में परिलक्षित होता है।इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. इस अदालत की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 19.05.2023 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से (तब मामले को जब्त कर लिया गया था) प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को रद्द नहीं करने और एक पद को खाली रखने का निर्देश दिया था।

4. उपरोक्त बैकड्रॉप में मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले की फाइल का अध्ययन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता को शामिल होने की अनुमति नहीं देने का विभाग का निर्णय राजस्थान शैक्षिक (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 का उल्लंघन है। इसके नियम 18 में विशेष रूप से 'चरित्र' को संबोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर जरूरी नहीं कि अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया जाए। वर्तमान मामले में कोई नैतिक अधमता या हिंसा के अपराधों या सरकार को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले आंदोलनों से जुड़ाव शामिल नहीं है।इसलिए, याचिकाकर्ता को उस पद पर शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए उसे चुना गया है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस सत्यापन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान में भा.दं.सं. की धारा 279 के साथ 304 ए के तहत एक आपराधिक मामला विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, वह इस बात पर जोर देते हैं कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग के भीतर एक बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में एक पद के लिए आवेदन कर रहा है, एक ऐसी भूमिका जो सीधे युवा, निर्दोष बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। इसलिए, वह तर्क देता है कि याचिकाकर्ता को ड्यूटी पर शामिल होने से इनकार करने के प्रिंसिपल के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है।

7. आइए प्रतिस्पर्धी विवादों की जांच करें।मुख्य रूप से, याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र को रोकने का एकमात्र कारण उसके खिलाफ मुकदमा विचाराधीनता होना प्रतीत होता है। निस्संदेह, लंबित मुकदमा किसी विचाराधीन व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करता है, क्योंकि किसी अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में संदेह अक्सर तब तक छाया रहता है जब तक कि वे बरी नहीं हो जाते। नतीजतन, वे आम तौर पर दोषी साबित होने तक निर्दोष होने की धारणा से लाभान्वित नहीं होते हैं। हालाँकि, विचाराधीन अपराध के संबंध में विचाराधीन व्यक्ति की कथित भूमिका की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है, विशेष रूप से यदि इसमें नैतिक अधमता शामिल है जो संभावित नियुक्ति से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी योग्यताको प्रभावित कर सकती है।

8. मौजूदा मामले में, यह पता चला है कि याचिकाकर्ता ने खुद ही एफआईआर दर्ज कराई थी और इस प्रकार, वास्तव में, वह खुद पीड़ित था। वह बाल-बाल बच गया क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है। इसके अलावा, उसका पीड़ित होना उस घटना के आसपास की परिस्थितियों से उपजा है जहां मृतक, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी- जैसा कि सुनवाई के दौरान

भरोसा किया गया था) के अनुसार नशे की हालत में पाया गया, मोपेड चला रहा था जो याचिकाकर्ता की मोटरसाइकिल से टकरा गया।

9. इस आधार पर, यह याचिकाकर्ता के लिए एक भाग्यशाली परिणाम प्रतीत होता है, जिसने उन घातक परिणामों से बाल-बाल बचा लिया जो आसानी से उसके लिए भी घातक हो सकते थेजीवित याचिकाकर्ता अब खुद को मुकदमे का सामना करते हुए पाता है, मृतक के विपरीत, जिसने दुखद रूप से अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और, प्रतीत होता है, उसकी नशे की हालत के कारण दुर्घटना में योगदान दिया। चाहे जो भी हो, यह मुकदमे का विषय है।

10. संक्षेप में, मुकदमे की विचाराधीनता याचिकाकर्ता के पीड़ित होने और दुर्घटना में उसके आकस्मिक जीवित रहने में वृद्धि करती प्रतीत होती है।

11. अलग होने से पहले, एक बार फिर नियम 18 आई. बी. आई. डी. की ओर इशारा करते हुए, जिन परिस्थितियों के कारण याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही में शामिल हुआ, वे नैतिक अधमता का गठन नहीं करते हैं या अन्यथा उन कर्तव्यों को बाधित नहीं करते हैं जो याचिकाकर्ता से करने की उम्मीद की जाती है, अगर नियुक्ति की पेशकश की जाती है।इसके अतिरिक्त, युवावस्था में अविवेक आवश्यक रूप से आपराधिक स्वभाव का संकेत नहीं देता है; इसलिए, ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए एक सुधारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है.

12. एक परिणाम के रूप में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को एक नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि 19.05.2023 दिनांकित आदेश के अनुसार, प्रतिवादी को एक पद खाली रखने का निर्देश दिया गया था, जो रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन था।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति आपराधिक कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगी और यदि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाता है, तो परिणाम सामने आएंगे।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।